25/3/2022 2020/00215	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वक्ता प्रार्थीगण एवं पेशकार सरकार उपस्थित। तहसील से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने से बहस प्रार्थीगण पक्ष उपस्थित पक्ष सुनी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi Date: 2022.04.19 10:26:29 IST Reason: SelfAttested (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) ……… लगातार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थीगण ने मौजा गलियामाल प.स. ... स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा 295/228, 296/232, 233, 300/234, 236, 298/228, 229, 299/230, 297/238, 228 मी, 230 मी, 231, 232 मी, 234 मी, 281/228, 235 पर आने जाने के लिए अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रेकार्ड मे रास्ता कायम कराने बाबत निवेदन करने पर तहसीलदार को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर, प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बस्सी द्वारा बस्सी द्वारा जरिए पत्रांक /राजस्व/ 2021/220 दिनांक 13/12/2021 से मौका रिपोर्ट मय पर्चा मौका प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने हेतु ग्राम गलियामाल की आ.नं. 245 रकबा 4.95 हे० किस्म चरागाह मे रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे चरागाह भूमि मे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। धारा 251 ए आर.टी.ए. के तहत चरागाह भूमि से रास्ता दिलाये जाने के प्रावधान नही है। चरागाह भूमि मे रास्ता कायम किए जाने सम्बन्धी प्रकरण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार ... निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Su... Bishnoi Date: 2022.04.19 10:26:29 IS... Reason: SelfAttested (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)